न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मयंक पालीवाल, RJS**
निय.आप.प्रकरण संख्याः- 407/2020
सी.आई.एस. प्रकरण संख्याः- 407/2020
CNR No:- **RJSM020009252020**

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी। -**अभियोगी**

बनाम

1. दीपक पुत्र राजूलाल,
2. अजय पुत्र मेघराज,

निवासीयान हरिजन मोहल्ला, शहर थाना कोतवाली सवाई माधोपुर।

- अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 336 भा.दं.सं.

(अपराध धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. में बरूवे राजीनामा दोषमुक्त दिनांक 03-06-2026)

उपस्थितः-

1. श्री भरतलाल मीना, विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री संजय माहेश्वरी, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।
3. श्री मनोज कुमार मीना, विद्वान अधिवक्ता, परिवादी पक्ष की ओर से।

भाग प्रथम

A

परिवादी	सरोज पत्नी मुन्नाराम निवासी नीम चौकी हरिजन बस्ती, सवाई माधोपुर
प्रस्तुतकर्ता	अभियोजन अधिकारी, सवाई माधोपुर
अभियुक्तगण का नाम व पता	(1) दीपक पुत्र राजूलाल (2) अजय पुत्र मेघराज, निवासीयान हरिजन मोहल्ला, शहर थाना कोतवाली सवाई माधोपुर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री संजय माहेश्वरी

B

अपराध की दिनांक	03-05-2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	04-05-2020
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	20-07-2020
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	14-02-2022
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	03-06-2026
निर्णय दिनांक	05-06-2026
दण्डादेश की दिनांक	--

भाग -द्वितीय

अ- अभियोजन गवाहान

क्रम सं.	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
पी.डब्ल्यू.1	सरोज	परिवादिया व मजरूब
पी.डब्ल्यू.2	अभिषेक	मजरूब
पी.डब्ल्यू.3	डॉ. शिशिर बैरवा	चिकित्सकीय साक्षी

ब- बचाव गवाह

क्रम सं.	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
--		

स- न्यायालय गवाह

क्रम सं.	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह**
--		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ- अभियोजन प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी.2	चाकशुदा एफ.आई.आर.
3	प्रदर्श पी.3	पुलिस बयान सरोज
4	प्रदर्श पी.4	चोट प्रतिवेदन सरोज
5	प्रदर्श पी.5	नक्शा मौका घटनास्थल
6	प्रदर्श पी.6	बयान 164 दं.प्र.सं. सरोज
7	प्रदर्श पी.7	चोट प्रतिवेदन अभिषेक
8	प्रदर्श पी.8	एक्स-रे रिपोर्ट अभिषेक
9	प्रदर्श पी.9	पुलिस बयान अभिषेक

ब- बचाव प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
--		

स- न्यायालय प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
--		

द- भौतिक वस्तुएंः

क्रम सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
--		

निर्णय **दिनांक 05-06-2026**

01. उक्त प्रकरण का उद्भव महिला पुलिस थाना सवाई माधोपुर पर दर्ज एफ.आई.आर.संख्या 36/2020 अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 354, 452, 34 भा.दं.सं. से हुआ है, जिसका बाद विचारण एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. इस आपराधिक प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादिया सरोज ने महिला पुलिस थाना सवाई माधोपुर पर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि पुरानी रंजिश को लेकर अजय पुत्र मेघराज व दीपक नरवाल पुत्र राजू नरवाल एक राय होकर करीब 5.30 बजे दिनांक 03-05-2020 को प्रार्थिया के घर में जबरन घुस आये व शराब पीकर प्रार्थिया के साथ गाली गलौच व बदतमीजी करने लगे। प्रार्थिया उस वक्त घर पर अकेली थी। प्रार्थिया द्वारा विरोध करने पर दीपक ने प्रार्थिया का हाथ पकड़ लिया व जबरदस्ती करने लगा। इतनी ही देर में प्रार्थिया का पुत्र व पति घर आ गये व उन्हें घर से बाहर निकाला व प्रार्थिया का बीच-बचाव किया। तभी दीपक का भाई अजय पुत्र रामजीलाल व माँ बीना दीपक को ढूंढते हुए आये व गाली गलौच करने लगे। चारों लोगों ने मिलकर प्रार्थिया व प्रार्थिया के पुत्र व पति के साथ मारपीट की। दीपक ने प्रार्थिया को पकड़कर 5-6 थप्पड़ मार दिये व अजय पुत्र मेघराज ने प्रार्थिया के पुत्र को पकड़ लिया व दीपक ने प्रार्थिया की कोहनी पर भारी पत्थर से दे मारी। प्रार्थिया व प्रार्थिया के परिवार ने बड़ी मुश्किल से जान बचायी। दीपक का भाई अजय पुत्र रामजीलाल जाते जाते प्रार्थिया के अत्यंत बुजुर्ग ससुर की भी मारपीट कर भा गया..... इत्यादि।

03. उक्त लिखित रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाना सवाई माधोपुर में एफ.आई.आर. संख्या 36/2020 जुर्म धारा 323, 341, 354, 452, 34 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान न्यायालय में अभियुक्तगण दीपक व अजय के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 336 भा.दं.सं. के अपराध प्रमाणित पाते हुए उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों में आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 336 भा.दं.सं. के अपराधों का आरोप पृथक से विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर उक्त आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य अभियोजन तलब की गई।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय के बिन्दु संख्या "अ" में वर्णित गवाहान को परीक्षित

करवाया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 पर बिन्दु संख्या "अ" में वर्णित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है।

06. साक्ष्य अभियोजन के प्रकम पर प्रकरण के परिवादी/मजरूब सरोज व अभिषेक ने अभियुक्तगण दीपक व अजय से अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. में राजीनामा पेश किया, जिस पर धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. में राजीनामा तस्दीक कर उक्त अभियुक्तगण को उक्त अपराधों के आरोप में बरूवे राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया व अभियुक्तगण के विरूद्ध केवल धारा 336 भा.दं.सं. के अपराध के संबंध में विचारण शेष रहने से उक्त अपराध के संबंध में विचारण किया गया।

07. प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान प्रकरण की परिवादिया सरोज व मजरूब अभिषेक के पक्षद्रोही हो जाने से अन्य औपचारिक साक्षीगण को परीक्षित किये जाने का औचित्य न रह जाने से साक्ष्य अभियोजन बंद की गई व अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान की साक्ष्य को गलत होना बताया व साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

08. चूंकि हस्तगत प्रकरण में परिवादी/मजरूबान व अभियुक्तगण के मध्य धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. के अपराधों में राजीनामा पेश होने पर अभियुक्तगण को उक्त अपराधों के आरोप से बरूवे राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अतः उक्त निर्णय अभियुक्तगण के विरूद्ध शेष बचे अपराध अंतर्गत धारा 336 भा.दं.सं. के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।

09. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई।

10. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित कर कठोरतम दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया।

11. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध शेष बचे आरोपित अपराध के

संबंध में पत्रावली पर कोई मौखिक साक्ष्य नहीं आयी है। प्रकरण में स्वयं परिवादिया सरोज व मजरूब अभिषेक पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा उन्होने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 336 भा.दं.सं. के संबंध में लेशमात्र भी कथन नहीं किये है। ऐसे में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 336 भा.दं.सं. अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

12. सुना गया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। बहस के प्रकाश में पत्रावली का व सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चयार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 03-05-2020 को सांय 5.30 बजे या इसके लगभग नीम चौकी, हरिजन बस्ती, सवाई माधोपुर में पत्थर फेंककर दूसरे व्यक्तियों के जीवन को संकटापित किया ?

2. यदि उक्त विचारणीय प्रश्न का उत्तर हाँ में हो तो अभियुक्तगण को क्या उचित दंड दिया जावे ?

13. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन किया जावे तो प्रकरण में परिवादिया/मजरूब सरोज व अन्य मजरूब अभिषेक क्रमशः गवाह पी.ड.-1 व पी.ड.-2 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में करीब 5-6 साल पहले शाम के समय उनके व मुलजिमान के बीच कहासुनी हो जाना जिसमें गिर जाने से स्वयं के चोटें आना बताया है। और कुछ नहीं होना दोनों गवाहान कहते हैं। उक्त दोनो ही गवाहान को अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

14. अभियोजन अधिकारी द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में गवाह पी.ड.-1 सरोज तहरीरी रिपोर्ट का ई से एफ भाग, पुलिस बयान प्रदर्श पी-3 का सी से डी भाग पुलिस को नहीं लिखाया जाना बताते हुए तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-2, एमएलआर प्रदर्श पी-4, नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 व बयान 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी-6 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। गवाह ने बयान 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी-6 के ई से एफ भाग अपनी जानकारी में नहीं होना कहा है।

15. अभियोजन अधिकारी द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में गवाह पी.ड.-2 अभिषेक ने पुलिस बयान प्रदर्श पी-9 का सी से डी भाग पुलिस को नहीं लिखाया जाना बताते हुए स्वयं की एमएलआर प्रदर्श पी-7, एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 व नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त गवाह ने इस बात का भी गलत होना बताया है कि मुलजिम दीपक व अजय ने पत्थर फेंककर उसके साथ मारपीट की हो।

16. उक्त दोनो गवाहान ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में अपना स्वयं का व मुलजिमान का आपस में राजीनामा हो जाना व प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहना कहा है व इस बात को स्वीकार किया है कि मुलजिमान ने उनके उपर कोई पत्थर नहीं फेंके।

17. प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.ड.-3 डॉ. शिशिर बैरवा चिकित्सकीय साक्षी है, जिसने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में दिनांक 06-05-2020 को मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर में कार्यरत रहते हुए मजरूबान सरोज व अभिषेक के शरीर पर आयी चोटों का स्वयं द्वारा मेडिकल मुआयना किया जाना बताते हुए मजरूबा सरोज के शरीर पर दर्द की शिकायत होना व मजरूब अभिषेक की चोट संख्या 1 बाद एक्स-रे गंभीर प्रकृति की पायी जाना बताया है तथा गवाह ने मजरूबान के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 व पी-7 तथा एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है।

18. प्रति परीक्षण में गवाह ने प्रदर्श पी-4 की चोट जाहिरा नहीं होने की बात सही होना बतायी है व प्रदर्श पी-7 की चोट संख्या 1 गृह कार्य करते समय अनियंत्रित होकर हथेली के बल ठोस धरातल पर गिर जाने से आना संभव बताया है।

19. इस प्रकार अभियुक्तगण दीपक व अजय के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 336 भा.दं.सं. के संबंध में यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन किया जावे तो प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में परिवादिया सरोज ने अभियुक्त दीपक नरवाल द्वारा प्रार्थिया की कोहनी पर भारी पत्थर की मारी जाना अंकित किया है। किंतु न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर प्रकरण की परिवादिया सरोज पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा वह तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, पुलिस बयान प्रदर्श पी-3 व बयान 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी-6 का समर्थन नहीं करती है। परिवादिया ने अपने पति

व पुत्र के साथ भी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किया जाना कहा है, जिनमें से परिवादिया का पुत्र अभिषेक न्यायालय के समक्ष गवाह पी.ड.-2 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा वह भी पूर्णतः पक्षद्रोही होकर अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी-9 का समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनो ही गवाहान ने अपने प्रति परीक्षण में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने उनके उपर कोई पत्थर नहीं फेंके। इस प्रकार प्रकरण में परिवादिया सरोज व उसका पुत्र अभिषेक जो कि मजरूब भी है, अपने बयानों में पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हो अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं करते हैं तथा उन्होने न्यायालय के समक्ष अपने संपूर्ण साक्ष्य परीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण दीपक व अजय द्वारा कोई पथराव किा गया हो। प्रकरण में गवाह पी.ड.-3 डॉ. शिशिर बैरवा चिकित्सकीय साक्षी होकर मजरूबान सरोज व अभिषेक के शरीर पर आयी चोटों की पुष्टि करता है, किंतु उक्त दोनो गवाहान स्वयं के शरीर पर चोटें अभियुक्तगण से कहासुनी के दौराने गिरने से आना बताते हैं।

20. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण दीपक व अजय के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 336 भा.दं.सं. युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है तथा अभियुक्त उक्त अपराध के आरोप में दोषमुक्ति का पात्र है।

आदेश

21. परिणामतः अभियुक्तगण (1) दीपक पुत्र राजूलाल (2) अजय पुत्र मेघराज, निवासीयान हरिजन मोहल्ला, शहर थाना कोतवाली सवाई माधोपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 336 भा.दं.सं. में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के इस प्रकरण में नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(मयंक पालीवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

22. निर्णय आज दिनांक 05-06-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(मयंक पालीवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर